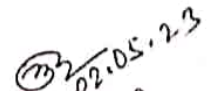


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटौंड (विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-37/2022

क्र.सं.	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
02.05.2023	—आदेश— अभिलेख उपस्थापित। यह संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-37/2022 राजस्व उपनिरीक्षक हल्का-04-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटौंड (विद्यासागर) के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0-04-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटौंड (विद्यासागर) ने प्रतिवेदित किया है कि अंचल करमाटौंड (विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-सुगापहाड़ी, थाना सं0-42, खाता सं0-31/7 भूमि जमाबंदीधारी लाडु दास पिता-जगू दास ग्राम-सुगापहाड़ी पो0-करमाटौंड थाना-करमाटौंड, जिला-जामताड़ा के नाम से जमाबंदी सं0-31/7 में जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष-1978-79 से 1993-94 तक जमा दर्ज है। प्राधिकार कॉलन में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं होने से तथा भूमि का किस्म पुरातन पतित होने से उक्त जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होने तथा जमाबंदी रद्दीकरण की कारवाई की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित किया है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी/उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वादी की ओर से उनके पौत्र श्री सुधीर चन्द्र दास तथा श्री पवित्र दास ने उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में बंदोबस्ती वाद सं0-149/1958-59 (अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा) तथा लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया है। बाद में समर्पित कागजातों की नूल एवं सत्यापित प्रति प्रदर्शित किया। समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, तदोपरान्त दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की नॉंग राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0-IV/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड (विद्यासागर) से की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड (विद्यासागर) ने संयुक्त प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा-सुगापहाड़ी न0.-42 अंतर्गत अनावादी खाता सं0-31/7 दाग सं0-495 रकबा-1.26 एकड़ दाग सं0-299 रकबा-0.84 एकड़ दाग सं0- 520-0.79 एकड़ एवं दाग सं0-581 रकबा-1.18 एकड़ कुल रकबा-4.07 एकड़ सभी किस्म-पुरातन पतित भूमि का जाँच एवं मापी किया गया। जाँचोपरान्त पाया कि उक्त खाते की भूमि पर 1.पवित्र दास 2. दिलीप कुमार दास 3. सुधीर चन्द्र दास तीनों पिता स्व0 शंकर दास 4. परेश दास 5. नरेश दास दोनों पिता स्व0 हरि दास 6. सुजीत दास 7. राकेश दास दोनों पिता-स्व0 दर्शन दास 8. अमित दास 9. सुमित दास दोनों पिता-बाबुलाल दास सभी साकीन सुगापहाड़ी के द्वारा मकान,वाड़ी एवं खंडित कर खेत बना कर खेती के रूप में दखल-कब्जा है। बंदोबस्ती कागजात, संलग्न लगान रसीद तथा गापी-सह-दखल संबंधी जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0-31/7 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप रागाहर्ता, जामताड़ा को भेजें।	


 अंचल अधिकारी,
 करमाटौंड (विद्यासागर),
 जामताड़ा।